मेरठ विकास प्राधिकरण

की

42वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 15—7—91

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 15-7-91

समय : प्रातः 11 बजे

स्थान : शिविर कार्यालय

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री जे०एन०रन्जन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री आर०पी०त्यागी	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री तुलसी गौड	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री वी०के०सिंह	संयुक्त सचिव,आवास,लखनऊ ।	सदस्य
5-	श्री जे०पी० भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ ।	सदस्य
6-	श्री आर०के०वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद,मेरठ ।	सदस्य
7-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।	सदस्य
8-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मरेठ ।	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 15-7-91 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक आज दिनाँक 15-7-91 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष , मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में उनके शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया।

1-	श्री जे०एन०रन्जन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री आर०पी०त्यागी	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री तुलसी गौड	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री वी०के०सिंह	संयुक्त सचिव,आवास,लखनऊ।	सदस्य
5-	श्री जे०पी० भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
6-	श्री आर०के०वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद,मेरठ।	सदस्य
7-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ।	सदस्य
8-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मरेठ।	सदस्य

मद संख्या- 1 व 2

1- प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-90 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आज की बैठक में में प्राधिकरण की विगत बैठक दिनाँक 22-10-90 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2- प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-90 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन।

आज सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बैठक में विगत बैठक दिनाँक 22-10-90 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने विगत बैठक में लिये गये निर्णयों की बिन्दूबार अनुपालन आख्या का अवलोकन किया। मदवार हुई चर्चा का विवरण निम्नवत् है।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में हाकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना।

अनुपालन आख्या के अवलोकन के बाद निर्देशित किया गया कि खेलकूद निदेशालय को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराये जाने की टर्म्स एण्ड कन्डीशन 4 सप्ताह में प्रस्तावित करके भेज दी जाये।

मद संख्या - 4

विकास शुल्क के रुप में जमा धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रस्ताव।

आवास एवं विकास परिषद का जो क्षेत्र नगर महापालिका को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित हो गये हैं, में कम्पाउन्डिंग तथा मानचित्र स्वीकृति का कार्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद ने नोटिफिकेशन की आवश्यकता बतायी। बाँछित नोटिफिकेशन के सम्बन्धमें सदस्यों ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि यह नोटिफिकेशन एक माह में करा लिया जाये।

मद संख्या - 5

मेरठ शहर में लिसाडी रोड एवं खत्ता रोड को मिलाने वाली लिंक रोड के निर्माण हेतु मेरठ शहर की 0.65 एकड भूमि का भूमि अर्जन प्रस्ताव निरस्त किया जाना।

संयुकत सचिव, आवास ने प्राधिकरण को जानकारी दी कि भूमि अर्जन का प्रस्ताव सचिव समिति की बैठक में पारित हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक माह में विज्ञप्तियाँ जारी कर दी जायेगी।

मद संख्या - 6 व 7

मैसर्स सूर्य प्रिन्टर्स की ग्राम रिठानी में स्थित भूमि खसरा सं०-1043 क्षेत्रफल 0-18-0 बीघा को प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव।

भूमि अर्जन के पुराने प्रस्ताव जिनमें भूमि अर्जन की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी हुई हैं और जिनमें धारा-4, 6 व 17 की विज्ञप्तियाँ अभी निर्गत नहीं हुई हैं उनको बनाये रखना अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि अपर जिलाधिकारी (प्र०) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हेतू दो तिथियाँ नियत की गयी परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति की बैठक न हो सकी। यह इसलिए प्राधिकरण की आज की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके। सदस्यों ने विचारोपरान्त निर्देशित किया कि समिति की बैठक 15 दिन में सुनिशिचत की जाये और समिति की संस्तुतियों सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

मद संख्या - 8

मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर में खसरा संख्या 756अ व 756ब (नीलगिरी सीमेन्ट) का भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव।

मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक ने यह जानना चाहा कि दैनिक चमकता भारत व दैनिक मयराष्ट्र में ही सूचना उपरोक्त भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में क्यों प्रकाशित करायी गयी क्या इनका पर्याप्त मात्रा मे सरकुलेशन है? संयुक्त सचिव (प्रथम) ने सदस्यों को अवगत कराया कि उपरोक्त समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन रोस्टर के अनुसार कराया गया हैं। यह निर्णय लिया गया कि रोस्टर सम्बन्धित पत्रावली अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या - 10, 11, 12 एवं अन्य बिषय का -3

भाई जोगासिंह (इंगलिश मीडियम) पब्लिक स्कूल देवपुरी, मेरठ सेठ छज्जू सिंह, झण्डू सिंह माहेश्वरी जूनियर हाई स्कूल सराय लाल दास, मेरठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेन्ड्री स्कूल शिवाजी कालोनी, मेरठ को रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव।

मेरठ पब्लिक स्कूल को क्रीडा स्थल हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्देशित किया कि शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि दिये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नौयडा के अनुरुप उपनियम मेरठ विकास प्राधिकरण भी तैयार करें। उपनियमों की प्राधिकरण से स्वीकृति के पश्चात इस मामले पर विचार किया जाये।

अन्य बिषय

1- मेरठ विकास क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अनाधिकृत कालोनियों की बहुत बडी संख्या होने के कारण मेरठ शहर कर्फ्यूग्रस्त रहने के कारण एवं प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों की डयूटी सामान्य निर्वाचन में लगा दिये जाने के कारण सर्वेक्षण का कार्य नहीं हो सका। सदस्यों का मत था कि ग्राउन्ड रियल्टीज को देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण को कानपुर विकास प्राधिकरण के माडल का अनुसार करने के बजाय अपना खुद का माडल तैयार करना चाहिए क्योंकि मेरठ की परिस्थितियाँ अन्य शहरों से भिन्न हैं। सदस्यों का मत था कि नमूने के तौर पर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में एक माह में सर्वेक्षण करा लिया जाये व मौके की स्थिति का जायजा लेकर योजना बनायी जाये और प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

9- गढ रोड पर मधु नर्सिंग होम के सामने खसरा नं०-6041 नगर महापलिका की भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण।

सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त भूमि विवादग्रस्त है। प्राधिकरण को हस्तान्तरण से पूर्व नगर महापालिका, मेरठ अपनी कार्यकारिणी की बैठक में पहले विचार करेगी और उसके अनुमोदन के बाद ही प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव लाया जायेगा।

11- अनाधिकृत रुप से बेनामी बनायी जा रही कालोनियों पर रोक के सम्बन्ध में।

सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राईवेट डवलपर्स तथा कालोनाईजरों द्वारा बनायी जा रही कालोनियों के विवरण प्राधिकरण के स्टाफ निर्वाचन तथा कर्फयू में लगे होने के कारण तैयार नहीं हो पाया। प्राधिकरण ने निर्देशित किया कि विवरण तैयार करके प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाये।

प्राधिकरण ने गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन पर असन्तोष प्रकट किया और निर्देश दिये कि भविष्य में उन सभी बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये जिन पर विगत बैठक में कार्यवाही हेतु अनुपालन शेष रहता है।

बैठक दिनाँक 15-7-91

मद संख्या - 3

प्राधिकरण के बर्ष 1991-92 के बजट (आय-व्यय) पर विचार।

प्राधिकरण के समक्ष बर्ष 1991-92 का प्रस्तावित बजट विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। मुख्य लेखाधिकारी ने बजट पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राधिकरण को बर्ष 1991-92 में राजस्व आय के रुप में रुपये 2078.25 लाख तथा पूँजीगत आय के रुप में रुपये 19164.37 लाख आय कुल रुपये 21242.62 लाख की आय होनी प्रस्तावित है जिसके विपरीत राजस्व

व्यय रुपये 407.60 लाख तथा पूँजीगत व्यय रुपये 20807.10 लाख कुल व्यय रुपये 21214.70 लाख प्रस्तावित है । आय के स्त्रोत तथा व्यय के मदों पर विस्तार से चर्चा हुई । प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने विगत बर्षो में प्राप्त ऋणों के विरुद्ध किश्तों की अदायगी समय से की है और इसमें कोई डिफाल्ट नहीं किया हैं पूँजीगत व्यय रुपये 2162.50 लाख विकास कार्यो पर तथा रुपये 6200.60 लाख निर्माण कार्यो पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित बजट में पुराने शहर में भी विकास कार्यो हेतु प्राविधान किया गया है । आठ कम्यूनिटी सेन्टर बनाने का भी प्राविधान किया गया है । प्राधिकरण की आय का मुख्य स्त्रोत उसकी अपनी सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण से रखा गया है । भवनों/भूखण्डों के पंजीकरण से रुपये 1070 लाख तथा उनके आबंटन व नीलामी से रुपये 6739.12 लाख आय प्राप्त होने की आशा है । सदस्यों ने बजट पर चर्चा करते हुए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि बर्ष 1990-91 में प्रस्तावित राजस्व आय रुपये 923 लाख के विरुद्ध मात्र रुपये 454.59 लाख ही वास्तविक आय हुई जो आय का 50 प्रतिशत से भी कम है उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि बर्ष 1989-90 को राजस्व आय के रुप में रुपये 920.18 लाख आय प्राप्त हुई थी उन्होंने राजस्व आय में आयी इस कमी के कारण को जानना चाहा तो उन्हें अवगत कराया गया कि बर्ष 1989-90 में शताब्दी नगर योजना का पंजीकरण खोला गया था उसी से ही लगभग 9 करोड रुपये की आय प्राप्त हुई थी । बर्ष 1990-91 में जो पंजीकरण खोले गये उनमें कर्फ्यू आदि के कारण उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए प्राधिकरण ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि एक तरफ प्राधिकरण की राजस्व आय घटती जा रही है दूसरी तरफ प्राधिकरण का व्यय जो बर्ष 1989-90 में रुपये 124.35 लाख रुपये था वह बढकर बर्ष 1990-91 में रुपये 303.75 लाख हो गया है । मुख्य लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों के जो वेतनमान जनवरी 1986 में पुनरीक्षित किये गये उसके फलस्वरुप अवशेष देयों का भार प्राधिकरण पर बर्ष 1990-91 में पडा है साथ ही प्राधिकरण में चार नये अभियन्त्रण खण्ड बर्ष 1990-91 में बढ गये है । जिला मजिस्ट्रेट ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि अभियन्त्रण खण्डों के बढने के बाबजूद पूँजीगत व्यय जो बर्ष 1989-90 में रुपये 9747.12 लाख था वह बर्ष 1990-91 में मात्र

रुपये 10260.11 लाख हुआ है इस प्रकार वृद्धि केवल चार प्रतिशत की हुई है । मुख्य लेखाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बर्ष 1990-91 में किसानों द्वारा उत्पन्न किये गये गतिरोध तथा कर्फ्यू के कारण योजनाओं में विकास व निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं अन्यथा व्यय कहीं अधिक होता । सदस्यों ने इस बात पर भी चिन्ता प्रकट की कि बर्ष 1990-91 में बजट प्राविधानों से कहीं अधिक प्रचार-प्रसार एवं स्टेशनरी पर किया गया है उनका कहना था कि अधिकृत धनराशि से किये गये अधिक व्यय की स्वीकृति प्राधिकरण से लेनी चाहिए थी । उपरोक्त आबजर्बेशन को भविष्य के लिये नोट किये जाने और इसकी पुनरावृत्ति न करने के निर्देश के साथ चर्चा के उपरान्त प्राधिकरण ने विगत बैठक दिनाँक 22-10-90 के पश्चात बर्ष 1990-91 तथा बर्ष 1991-92 में लेखानुदान सहित अब तक किये गये व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्राधिकरण में योजनाओं का कार्य ठेके पर कराया जा रहा है अत: वर्क चार्ज में स्टाफ रखे जाने का औचित्य नहीं रह जाता । प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कोई नियुक्तियाँ अनुमति के बिना न की जायें । इसके साथ ही बर्ष 1991-92 के प्रस्तावित बजट पर प्राधिकरण ने अनुमोदन प्रदान किया ।

अन्य बिषय

1- मेरठ में 385 दंगापीडित व्यक्तियों के लिये मरम्मत एवं नवीनीकरण योजना के अधीन 177 आर्थिक दृष्टि से कमजोर 125 अल्प आय वर्ग, 75 मध्यम आय वर्ग एवं 8 उच्च आय वर्ग भवनों के नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु अंकन रुपये 45.14 लाख के ऋण की योजना को निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए रुपये 5.95 लाख हुडको को वापस किये जाने का अनुमोदन दिया गया ।

2- सुरक्षा "वाचन-वार्ड" प्रकोष्ठ का गठन ।

वाचन-वार्ड प्रकोष्ठ की गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विस्तृत रुप से चर्चा हुई । सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में वाचन-वार्ड का

कार्य पी० आर० डी० के बालिन्टयर को रिप्लेस करके सेवा के सेवानिवृत जवानों को सुरक्षा हेतु रखा जाना है तो प्रस्ताव पर सिद्धान्त रुप से स्वीकृति प्रदान की जाती है । प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय से शासन को अवगत करा दिया जाये । नियमित सुरक्षा अधिकारी रखे जाने हेतु पदों की स्वीकृति शासन को अलग से लिखा जाये ।

3- प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को बल्क सेल में भूमि दिये जाने हेतु दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण तैयार कर के इसे प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाये ।

4- रिफन्ड की धनराशि पर ब्याज की दर में वृद्धि पर विचार ।

संयुक्त सचिव, आवास ने अवगत कराया कि पंजीकरण/आबंटन धनराशि के रिफन्ड के सम्बन्धमें शासन स्तर पर नियमावली बनायी जा रही है । अत: प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया ।

5- प्राधिकरण में विधि (लीगल) प्रकोष्ठ का सृजन ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई । प्राधिकरण में मुकदमों के बढते हुए भार को देखते हुए विधि प्रकोष्ठ के सृजन हेतु सिद्धान्तत: स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्देशित किया गया कि विभिन्न न्यायालय में लम्बित वादों के विवरण तथा उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए पदों के सृजन का प्रस्ताव शाासन को भेजा जाये ।

6- बर्ष 90-91 में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में संस्थाओं को बल्कसेल पर भूमि आबंदित की गयी, जिसका विवरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा के बाद निर्देशित किया गया कि इसे प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाये ।

7- नये भूमि अर्जन प्रस्ताव।

भूअर्जन के 6 नये प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखे गये इन प्रस्तावों पर संक्षिप्त चर्चा हुई। क्रम संख्या-6 पर उल्लिखित ग्राम मलियाना की 5 बीघा, ग्राम घाट की 18-15-0 बीघा, ग्राम डुंगरावली की 6-6-10 बीघा तथा ग्राम कुण्डा की 4-8-0 बीघा कुल ३3-19-10 बीघा भूमि जो मेरठ बाईपास योजना की बाउन्ड्री तथा पी०डब्ल्यू०डी० की सडक के बीच पडती है, के अर्जन की स्वीकृति प्रदान ने प्रदान की। शेष के विषय में निर्देशित किया गया कि विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आज की बैठक समाप्त की गयी।

अनुमोदित।

ह०/-

(जे०एन०रंजन)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।